यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला**, **उत्तरकाशी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला**, **उत्तरकाशी** के माह **जुलाई 2017 से दिसम्बर 2018** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रदीप कुमार मौर्या, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री सुनील कुमार ,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री आशीष कुमार, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक **16/01/2019 से 25/01/2019** तक श्री रणवीर सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखा सर्व श्री आर एन यादव, डीके मट्टू राजेश डोभाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा श्री नीरज चुरंगू वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 02/07/2017 से 14/07/2017 तक में संपादित किया गया एवं उक्त लेखा परीक्षा में माह 11/2015 से 06/2017 तक के लेखा अभिलेखो की समान्यत: जांच की गई थी ।

1. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार:**

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला, उत्तरकाशी के खंड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संपादित होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यो (राज्य योजना/ जिला योजना/ निक्षेप मद में स्वीकृत मार्ग/सेतु/भवन का निर्माण तथा सुधार) के लिए आवश्यक सर्वेक्षण के उपरांत अधीनस्थ अवर अभियंताओ एवं एवं सहायक अभियन्ताओं के माध्यम से आगणन गठित कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति जारी करने/कराने के लिए उत्तरदायी हैं। समस्त कार्यो के सभी स्तरों पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। जिलाधिकारी के अधीन कार्यों की प्रगति अनुश्रवण तथा प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी है। कार्यों के लिए निर्धारित स्तर से निविदा आमंत्रण कार्य प्रगति, अनुश्रवण तथा मानको से संतुष्ट होने पर भुगतान की कार्यवाही किए जाने हेतु उत्तरदायी हैं।

(अ) लेखा परीक्षा अवधि में योजनावार बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(र लाख में)

वर्ष	मुख्य लेखा शीर्ष	गत अवशेष	आवंटन	योग	व्यय	अवशेष
2015-16	2059, 2245, 3054, 5054, 8008 (5054)	शून्य	1985.72	1985.72	1985.72	शून्य
2016-17		-	1534.40	1534.40	1534.40	-
2017-18		-	2340.59	2340.59	2340.59	-
2018-19 (12/2018)		-	2837.58	2837.58	1259.22	1578.36

2. इकाई को बजट आवंटन एव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "A" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

3. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला, उत्तरकाशी को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला, उत्तरकाशी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखा परीक्षा द्वारा व्यय विवरण एवं प्राप्ति के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माह मार्च 2018 को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु चयन किया गया। इसी प्रकार सर्वाधिक व्यय वाले कार्य सुपिन नदी पर 90 मीटर झूला पुल का निर्माण कार्य को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु चयन किया गया।

4. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 , लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

1. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक .....को निरीक्षण किया गया।

2. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2018 तथा 04/2018 तक की गई।

3. फार्म 51: माह 02/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम - ₹ 2148723

भाग द्वितीय - ₹ 429733

4.खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 11/2018 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम - ₹ 6712202.00
(ख) सामग्री क्रय – Nil
(ग) नगद परिशोधन - Nil
(घ) निक्षेप- ₹ 34842841.00
(ङ) भण्डार- (-)₹ 6222006

भाग- दो 'ब'

<u>प्रस्तर- 1 :</u> ठेकों के अनियमित प्रवंधन के परिणामस्वरूप चीवा-मोल्डा मोटर मार्ग के निर्माण कार्यों का 10 वर्षों के उपरांत भी अपूर्ण रहना, लागत ` 267.15 लाख ।

लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य निष्पादन हेतु गठित किए जाने वाले प्रत्येक ठेकों के अनुबंध में कुछ सामान्य शर्तें सम्मलित होती है जिसके अनुसार यदि कोई ठेकेदार अनुवंधित कार्यमदों/मात्राओं को अपूर्ण छोड़ देता है तो विभाग उन छोड़ी गई कार्यमदों/मात्राओं को किसी अन्य ठेकेदार व एजेंसी से डेबिटेबल कार्य (Debitable work) के रूप में निष्पादित करवाने हेतु स्वतंत्र है जिसके तहत अतिरिक्त लागत मूल ठेकेदार से वसूल किया जाना होता है। विगत कुछ वर्षों से उत्तराखंड शासन द्वारा डेबिटेबल कार्य के इन प्रावधानों को अपनी वित्तीय/प्रशासकीय स्वीकृतियों के अधीन ही सम्मलित किया जा रहा है।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड (लो.नि.वि.), पुरोला (उत्तरकाशी) के अभिलेखों के अवलोकन से पाया गया था कि उत्तराखंड शासन द्वारा मार्च 2008 में 5 किमी. लंबाई में पूर्व-निर्मित चीवा-मोंडा हल्का वाहन मार्ग के पूर्ण मार्ग में परिवर्तन व डामरिकरण कार्य एवं उक्त के ग्राम मोंडा तक 2 किमी. विस्तार व किमी.-6 में 24 मी. स्पान के आर.सी.सी. सेतु निर्माण सहित कुल `284.25 लाख की वित्तीय/प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की थी परंतु यह कार्य 10 वर्षों से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी अपूर्ण है। खंड द्वारा उक्त कार्य निष्पादन हेतु विगत 10 वर्षों में कई अनुवंध गठित किए गए परंतु इन ठेकों के प्रवंधन में उपरोक्त वर्णित सामान्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया था परिणामस्वरूप कार्य पूर्ण करने हेतु खण्ड के पास अब आवश्यक राशि ही शेष नहीं है।

लेखा परीक्षा में पाया गया था कि `284.25 लाख की स्वीकृति के सापेक्ष विभाग द्वारा माह नवम्बर 2008 मोटर मार्ग व आर.सी.सी. सेतु निर्माण हेतु क्रमश: `142.01 लाख एवं `30.71 लाख के दो पृथक अनुवंध गठित किए गए थे। परंतु किसी भी ठेकदार द्वारा अपने कार्य पूर्ण नहीं किए गए थे और उनके अनुवन्धों को यथावत खत्म कर दिया गया था। वर्ष 2011 में मोटर मार्ग के अवशेष कार्यों को तात्कालिक दरों पर क्रमश: `49.94 लाख एवं `61.52 लाख के दो पृथक-2 अनुवन्धों के तहत एक ही ठेकेदार को आवंटित किया गया था परंतु उक्त ठेकेदार भी कार्य पूर्ण करने में असमर्थ रहा और 1.2 किमी. भाग में डामरिकरण कार्य व कुछ दीवारों के कार्य अपूर्ण छोड़ दिये गए। मार्च 2016 में आर.सी.सी. सेतु निर्माण हेतु उसी ठेकेदार (जिसके द्वारा यह कार्य अपूर्ण छोड़ा था) को अवशेष कार्यों के निष्पादन हेतु नवीनतम दरों पर `9.64 लाख का पृथक अनुवंध गठित किया गया। माह फरवरी/मार्च 2018 के दौरान मार्ग में आवश्यक दीवारों के निर्माण हेतु वर्तमान दरों पर अलग से `32.48 लाख चार अनुवंध गठित किये गए जिनमें से तीन के तहत कार्य गतिमान थे। इस प्रकार खण्ड द्वारा इस कार्य हेतु अभी तक कुल 9 अनुवंध गठित किये गए थे जिनका विवरण निमन्वत है:

क्रम सं.	अनुबंध		अनुबंध की लागत	अद्यतन भुगतान	सोपे गए कार्यों का विवरण
	सख्या	दिनांक			
1.	14/SE-06/08	07-11-2008	1,42,01,379	54,87,528	मार्ग का चौडीकरण व डामरिकरण
2.	14/EE/08-09	24-11-2008	30,70,998	30,90,113	किमी-6 में आर.सी.सी. पुल निर्माण
3.	01/EE/11-12	04-04-2011	49,93,543	50,47,295	प्रथम 5 किमी भाग के अवशेष कार्य
4.	01/SE/11-12	02-06-2011	61,51,955	39,50,526	
5.	313/AE-III	08-03-2016	9,78,529	9,63,914	पुल के अवशेष कार्य
6.	186/AE-III	16-02-2018	8,68,311	7,45,886	दिवालों के अवशेष कार्य
7.	197/AE-III	28-02-2018	7,51,359	4,41,765	
8.	212/AE-III	06-03-2018	8,36,309	8,36,316	
9.	228/AE-III	09-03-2018	7,91,557	4,78,798	
योग				**2,10,42,141**	

जांच में पाया गया था कि खंड द्वारा कार्य निष्पादन हेतु वर्ष 2011, 2016 व 2018 में आवंटित ठेके तात्कालिक नवीनतम दरों पर थे और अतिरिक्त लागत को मूल/पूर्वर्ति ठेकेदार से डेबिटेबल कार्य (Debitable work) के रूप में वसूल नहीं किया गया था। यह भी कि स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष खंड के पास केवल `17.10 लाख अवशेष है और अभी उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या-3, 4, 6, 7 व 9 पर वर्णित अनुवन्धों का अंतिमिकरण किए जाना शेष है। इसप्रकार 1.2 किमी. के अवशेष भाग में डामरिकरण कार्य हेतु खंड के पास उपयुक्त धनराशि शेष नहीं है। इसके अलावा लेखा परीक्षा में यह भी पाया गया था कि वर्ष 2011 गठित एक अनुवंध (01/SE) के तहत ठेकेदार द्वारा `5.00 लाख मूल्य की सामग्री (688.70 घनमीटर रोड़ी) एकत्रित की गई थी परंतु उसे मार्ग पर बिछाया नहीं गया था।

उपरोक्त लेखा परीक्षा आपत्तियों के संबंध में इकाई द्वारा उत्तर दिया गया था कि कार्यस्थल की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप कार्य को सम्पन्न कराने हेतु खण्ड द्वारा शतत प्रयास किया गया है, जिन ठेकेदारों द्वारा कार्य अधूरा छोड़ा गया उन पर नियानुसार अर्थदण्ड भारित करते हुये देयक का अंतिमिकरण किया गया है तथा आश्वासन दिया गया था कि अनुवंध संख्या-01/एस.ई. के तहत `5.00 लाख मूल्य की सामग्री को अनुबंध/देयक के अंतिमिकरण के समय नियमानुसार समायोजित कर लिया जाएगा। खंडीय उत्तर स्वीकार योग्य नहीं थे क्योकि कार्य 10 वर्षों से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी अपूर्ण है जो अपने आप में प्रवंधकीय खामी को उजागर करता है। यह भी कि खंड के पास अवशेष कार्यों के निष्पादन के लिए अब उपयुक्त धनराशि शेष नहीं है जो ठेकों के अनियमित प्रवंधन का परिणाम है। लेखा परीक्षा का मानना है कि स्वीकृत धनराशि में ही इन अपूर्ण कार्यों का निष्पादन संभव था यदि खण्ड द्वारा प्रत्येक स्तर पर छोड़े गए कार्यों को मूल ठेकेदारों के विरुद्ध डेबिटेबल कार्य के रूप में निष्पादित करवाया गया होता।

अतः ठेकों के अनियमित प्रवंधन व लगभग सम्पूर्ण स्वीकृत धनराशि के व्यय `267.15 लाख उपरांत भी अपूर्ण रह गए इस मोटर मार्ग निर्माण के प्रकरण को प्रकाश में लाया जाता है।

भाग- दो 'ब'

प्रस्तर-2 : अनुचित दूरी सूचकांक भारित किए जाने के परिणामस्वरूप सेतु निर्माण कार्य पर अतिरिक्त व्यय भार, `22.53 लाख

प्रमुख अभियन्ता (लो.नि.वि.), उत्तराखंड द्वारा मई 2011 में जारी परिपत्र संख्या-1055 के अनुसार सड़क मार्ग से दूर पड़ने वाले निर्माण कार्यों के लिए सामग्री के ढुलान हेतु व्यवस्था दी थी कि रोड हैड से 1 किमी. से अधिक व 5 किमी. तक की पैदल दूरी वाले कार्य जोन-एक, 5 किमी. अधिक व 10 किमी. तक की पैदल दूरी वाले कार्य जोन-दो, 10 किमी. अधिक व 20 किमी. तक की पैदल दूरी वाले कार्य जोन-तीन, 20 किमी. अधिक की पैदल दूरी वाले कार्य जोन-चार में वर्गीकृत किए जायेंगे और तदनुसार निर्धारित दूरी सूचकांक भारित किए जाएगे।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड (लो.नि.वि.), पुरोला (उत्तरकाशी) के अभिलेखों के अवलोकन से पाया गया था कि खण्ड द्वारा ग्राम खोदी-लिवाड़ी के निकट सुपिन नदी के ऊपर 90 मी. स्पान के पैदल सेतु निर्माण कार्य के लिए सामग्री ढुलान हेतु कार्य स्थल का निकटतम रोड हैड सांकरी-जखोल मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-48) दर्शाया गया था जो 11 किमी. की पैदल दूरी पर स्थित है। तदानुसार कार्य हेतु जोन-तीन का दूरी सूचकांक (11 किमी. की पैदल दूरी) भारित कर कुल `562.69 लाख की लागत की स्वीकृति प्रदान (मार्च 2016) की गई थी। दिसम्बर 2018 तक कार्य, `252.10 लाख की वित्तीय एवं 60 प्रतिशत की भौतिक प्रगति के साथ निर्माणाधीन था।

लेखा परीक्षा जांच में पाया गया था कि उक्त पैदल सेतु निर्माण स्थल का निकटतम रोड हैड सांकरी-जखोल मार्ग की वजाय पी.एम.जी.एस.वाई. का जखोल-लिवाड़ी मोटर मार्ग है जो 1 से 1.5 किमी. दूरी पर स्थित है। यह भी कि पी.एम.जी.एस.वाई. के इस मार्ग के प्रथम चरण कार्य 2011-12 की स्वीकृति के सापेक्ष निर्मित थे तथा द्वितीय चरण (डामरिकरण) कार्य 2017-18 की स्वीकृति के सापेक्ष किए जा रहा है। अतः तथ्य इंगित करते है कि सेतु कार्य स्वीकृति के समय (मार्च 2016) पी.एम.जी.एस.वाई. का यह मोटर मार्ग कच्चे स्तर तक निर्मित था जिसके आधार पर सामग्री ढुलान के लिए जोन-एक का दूरी सूचकांक देय/प्रभार्य था। इस प्रकार लेखा परीक्षा जांच में पाया गया था कि इस कार्य हेतु सामग्री ढुलान के लिए जोन-एक के दूरी सूचकांक की वजाय जोन-तीन का अनुचित दूरी सूचकांक भारित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप कार्य पर `22.53 लाख अतिरिक्त व्यय भार पड़ा (विवरण **संलग्नक-क** के अनुसार)।

प्रकरण को इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा कार्यस्थल से कुछ ही दूरी पर पी.एम.जी.एस.वाई. मार्ग स्थित होने के तथ्य को स्वीकारते हुये उत्तर दिया गया था कि खेड़ा घाटी नामक स्थान पर मोटर पुल निर्मित न होने के कारण उक्त मोटर मार्ग हल्के/भारी वाहनों के लिए सुलभ नहीं है इसीलिए अन्य नजदीकी मार्ग से 11 किमी. का जोन-तीन दूरी सूचकांक लगाया गया था। उत्तर अमान्य था क्योंकि पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत पुल आदि के निर्माण कार्य स्टेज-I के अंतर्गत आते है जिसे पूरा किए बिना स्टेज-II (डामरीकरण) स्वीकृत नहीं किए जाते है जोकि इस संधर्वित मार्ग के परिपेक्ष में स्वीकृत हो चुके है।

अतः `22.53 लाख के अनुचित व्यय भार का यह प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

संलग्नक-क

अनुचित दूरी सूचकांक के परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय के विवरण

Item No.	Item of works	Unit	Item SoR	Zone-3 index	Zone-1 index	Difference (Zone: 3-1)	BoQ	Cost Effect
3	**PCC M-10**	**cum**	6249.90	15%	7.5%	468.74	104.48	48,973.95
4	**RCC (M-25) in open foundation**	**cum**	8715.40	15%	7.5%	653.65	533.87	348,964.12
5	**RCC (M-25) in superstructure**	**cum**	9790.60	15%	7.5%	734.30	643.63	472,617.51
6	**Stone Masonry in 1:4**	**cum**	4817.10	3%	1.5%	72.25	498.94	36,048.41
7	**Stone Masonry in 1:6**	**cum**	4527.20	15%	1.5%	67.91	416.57	28,289.27
8	**S/f of HYSD Bars**	**Qtl.**	5686.23	15%	7.5%	426.467	805.27	343,421.28
9	**S/f of Steel truss**	**Mt.**	78283.90	15%	7.5%	5871.30	14.604	85,744.39
11	**S/f of fabricated main cable clamps**	**No.**	1346.48	15%	7.5%	100.985	114.00	11,512.29
12	**F/s of wind cable clamps**	**No.**	555.82	15%	7.5%	41.685	58.00	2,417.73
13	**F/s of bottle nuts**	**each**	384.00	15%	7.5%	28.80	172.00	4,953.60
14	**S/o of bull dog clamp**	**each**	474.00	15%	7.5%	35.55	416.00	14,788.80
15	**F/s of MS clips and adjustment**	**each**	116.00	15%	7.5%	8.70	344.00	2,992.80
16	**S/f of 48mm dia steel wire ropes**	**M**	1662.00	15%	7.5%	124.65	1120.00	139,608
17	**S/f of steelwire rope for wind & deck**	**M**	1377.89	15%	7.5%	103.34	470.00	48,569.80
18	**F/f of mild steel railing**	**M**	2564.30	15%	7.5%	192.325	193.28	37,172.57
21	**S/f cast iron saddles for 4 wirer rope**	**each**	212440.00	15%	7.5%	15,933.00	4.00	63,732.00
24	**Plain/reinforced CC in substructure**	**cum**	7570.40	15%	7.5%	567.78	6.57	3,730.31
25	**Plastering with cement mortar (1:4)**	**sqm**	203.00	3%	1.5%	3.045	157.32	479.04

26	**CC with 1:4:8**	**cum**	5450.20	15%	7.5%	408.765	28.24	11,543.52
27	**RR Stone Mas. 1:6**	**cum**	3174.40	3%	1.5%	47.615	718.67	34,219.47
28	**Pointing with CM 1:3**	**sqm**	77.80	3%	1.5%	1.165	337.18	392.81
29	**Cement Plum mas. 1:3:3**	**cum**	5302.00	15%	7.5%	397.65	1224.75	487,021.84
34/32	**S/f of Anchor Rod 62mm**	**No.**	15750.00	15%	7.5%	1,181.25	22.00	25,987.50
35/34	**Stone Masonry in 1:4**	**cum**	4288.90	3%	11.5%	64.335	129.368	8.322.37
Total								**22,53,189.7**

भाग-2 (ब)

प्रस्तर:3- वैधानिक स्वामित्व/मालिकाना हक के बिना सरकारी भूमि मे स्थित पेड़ो के लिए अनियमित रूप से ₹16.07 लाख का प्रतिकर वितरण किया जाना।

शासन द्वारा नैटवाड़ सेवा मोटर मार्ग के निर्माण के लिए ₹576.05 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान (02/2004) की गयी। लेखा परीक्षा जांच में पाया की उक्त मोटर मार्ग की कुल स्वीकृत लंबाई 30.00 किमी है, जिसमे से तीन चरण (*किमी 0 से 8, किमी 8 से 12 और किमी 18 से 22*) मे कुल 22.00 किमी लंबाई में मार्ग निर्माण किया जा चुका है। खंड द्वारा उक्त मोटर मार्ग के लिए 9.00 मीटर चौड़ाई में कुल 8.754 हेक्टेयर नाप भूमि का अधिग्रहण किया गया। खंड द्वारा अधिग्रहित भूमि एवं वितरित प्रतिकर का विवरण निम्नवत है।

किमी	**अधिग्रहित भूमि (हेक्टेयर)**	**वितरित प्रतिकर (₹) (भूमि अधिप्राप्ति एवं क्षतिग्रस्त वृक्ष)**
किमी 0 से 8	4.065	5433602.00
किमी 8 से 12	2.083	6917907.00
किमी 18 से 22	2.606	7480536.00
कुल	**8.754**	**19832045.00**

विभागीय/वित्तीय प्रावधानों के अंतर्गत मार्ग निर्माण किए जाने से पूर्व विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की भूमि (नाप भूमि/वन भूमि/सिविल सोयम/बंजर भूमि) अधिग्रहित की जाती है। नाप भूमि व्यक्ति विशेष (Individual) की भूमि होती है, उस पर संबन्धित का वैधानिक स्वामित्व/मालिकाना हक (Legal Ownership) होता है। नाप भूमि का अधिग्रहण प्रतिकर/मुआवजा भुगतान के बाद किया जाता है। उक्त भूमि प्रतिकर के साथ संबन्धित को वृक्ष/फसल का भी प्रतिकर भी प्रदान किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त वन भूमि वन विभाग से एवं सिविल सोयम/बंजर भूमि का अंतरण जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट सिविल सोयम/बंजर भूमि शासकीय/सरकारी भूमि होती है, इस पर किसी व्यक्ति विशेष का कोई मालिकाना हक/ वैधानिक स्वामित्व नहीं होता है।

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खंड, लो. नि. वि. पुरोला, उत्तरकाशी के प्रतिकर से संबन्धित अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच में प्रतिकर के आगणन एवं वितरण में निम्न व्यापक अनियमितताएँ पायी गयी।

- **किमी 0 से 8 :** मार्ग निर्माण में नाप भूमि एवं बंजर भूमि दोनों शामिल थी खंड द्वारा 4.065 हेक्टेयर नाप भूमि अधिग्रहण के लिए कुल ₹3386589.00 (₹3317225.00 प्रतिकर + ₹69364.00 रजिस्ट्री शुल्क) का प्रतिकर वितरित किया गया। भूमि प्रतिकर के अतिरिक्त खंड द्वारा क्षतिग्रस्त बाग वृक्ष के लिए ₹2067013.00 का प्रतिकर का वितरण किया गया। जांच मे पाया कि खंड द्वारा नाप भूमि में स्थित पेड़ो के साथ-साथ बंजर भूमि में स्थित पेड़ो का भी प्रतिकर वितरित किया गया। खंड द्वारा बंजर भूमि मे स्थित पेड़ो के लिए कुल 34 लोगो को ₹498119.00 का प्रतिकर वितरित किया गया है। (***संलग्नक-I***)
- **किमी 18 से 22 :** उपरोक्तनुसार इस प्रभाग में भी नाप भूमि एवं बंजर भूमि दोनों शामिल थी खंड द्वारा 2.606 हेक्टेयर नाप भूमि अधिग्रहण के लिए कुल ₹2575692.00 (₹2522592.00 प्रतिकर + ₹53100 रजिस्ट्री शुल्क) का प्रतिकर वितरित किया गया। भूमि प्रतिकर के अतिरिक्त खंड द्वारा क्षतिग्रस्त बाग वृक्ष के लिए ₹4904844.00 का प्रतिकर का वितरण किया गया। जांच मे पाया कि

खंड द्वारा नाप भूमि में स्थित पेड़ो के साथ-साथ बंजर भूमि में स्थित पेड़ो का भी प्रतिकर वितरित किया गया। खंड द्वारा बंजर भूमि मे स्थित पेड़ो के लिए कुल 32 लोगो को ₹1108954.00 का प्रतिकर वितरित किया गया है। (***संलग्नक-II***)

अतः बंजर भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित पेड़ो के लिए क्लेम की वास्तविकता एवं प्रमणिकता सुनिश्चित किए बिना ₹16,07,073 का प्रतिकर का वितरण किया जाना वित्तीय प्रावधान के सामान्य सिद्धांतों के विपरीत एवं औचित्यहीन है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि, जिलधिकारी उत्तरकाशी के अनुपालन में वृक्षो के प्रतिकर का भुगतान किया गया है।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, वैधानिक स्वामित्व/मालिकाना हक (Legal Ownership) के बिना सरकारी भूमि/बंजर भूमि मे स्थित पेड़ो के लिए प्रतिकर का वितरण किया जाना अनियमित है।

अतः शासकीय/सरकारी भूमि मे स्थित पेड़ो के लिए ₹16.07 लाख का प्रतिकर वितरित किए जाने का जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर:4- पूर्ण कार्य प्रतिभूति प्राप्त किए बिना अनुबंध गठन किये जाने के परिणामस्वरूप वर्तमान तक कार्य अपूर्ण रहना।

शासन द्वारा मोरी नैटवाड़ साँकरी मोटर मार्ग (किमी 1 से किमी 26) का पुनर्निर्माण एवं सुधार कार्य हेतु `709.13 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान[1] की गयी हैं। निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता द्वारा `1031.55 लाख की प्रदान[2] की गयी। निर्माण कार्य हेतु ठेकेदार के साथ `680.59 लाख (*आगणन से 0.19% कम पर*) का एक अनुबंध गठित (11/SE-6/2016-17 Dt. 03-01-2017) किया गया, किन्तु तकनीकी/वैधानिक कारणो से उपरोक्त अनुबंध निरस्त कर अन्य ठेकेदार के साथ ₹572.89 लाख (*आगणन से 1.85% कम*) का अनुबंध गठित (05/SE-06/2017-18 दिनांक 15-12-2018) किया गया है। अनुबंधानुसार निर्माण कार्य दिनांक 14-02-2019 तक पूर्ण किया जाना था किन्तु वर्तमान मे ₹104.31 लाख 20% (approx) के व्ययोपरांत कार्य प्रगति पर है।

अधिशासी अभियंता निर्माण खंड पुरोला के अभिलेखो की लेखा परीक्षा जाँच (जनवरी 2019) मे पाया कि, उक्त मार्ग निर्माण हेतु अधीक्षण अभियंता द्वारा Two-bid system के अंतर्गत e-निविदा आमंत्रित की गयी तथा तकनीकी रूप से सफल एक मात्र निविदादाता श्री जनक सिंह रावत के साथ ₹680.59 लाख का अनुबंध गठित किया गया। ठेकेदार द्वारा विशिष्टियों/मानको के अनुसार कार्य न किए जाने पर शिकायत के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्यो की जांच हेतु समिति[3] का गठन किया गया। जाँच समिति द्वारा निविदा को तकनीकी रूप से शर्तो के अनुरूप नहीं पाया गया तथा स्वीकृत निविदा में ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ अपूर्ण एवं संदिग्ध पाये गए। टर्न ओवर हेतु प्रस्तुत वित्तीय विवरणो से संबन्धित प्रपत्रों में भिन्नता पायी गयी। समिति द्वारा पाया गया कि संबन्धित ठेकेदार द्वारा अनुभव के समर्थन मे कूटरचित[4] अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए थे।

लेखा परीक्षा जाँच में यह भी पाया कि, विभाग द्वारा अनुबंध गठन के समय आवश्यक Performance Security ₹3411160.00 (*अनुबंधित/आगणित लागत का 5%*) प्राप्त करके अनुबंध का गठन किया जाना था किन्तु खंड द्वारा मात्र ₹3409300.00 की ही प्रतिभूति निर्धारित की गयी तथा ₹3126267.00 की FDR प्राप्त कर अनुबंध का गठन किया गया। इस प्रकार विभाग द्वारा पूर्ण Performance Security प्राप्त किए बिना अनुबंध का गठन किया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि, विभाग द्वारा, ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत अभिलेखो की जांच एवं वास्तविकता (Correctness & Genuineness of documents) सुनिश्चित किए बिना ही ठेकेदार को तकनीकी रूप से अर्ह घोषित किया गया तथा अनुबंध गठन के मापदंडो को पूर्ण किए बिना ही अयोग्य ठेकेदार के साथ अनुबंध गठित किया गया। अयोग्य ठेकेदार द्वारा कार्य की विशिष्टियों/मानको के अनुरूप कार्य किए जाने के निर्देश दिये जाने के उपरांत भी निम्न गुणवत्ता का कार्य निष्पादित किया जाता रहा। अंततः विभाग द्वारा LD आरोपित कर अनुबंध को निरस्त कर Performance Security जब्त करने के आदेश दिये (26-07-2017) गए।

---

[1] पत्रांक संख्या 663/III(3)/16-06(एसपीए)/2014 टीसी-II; दिनांक 16-11-2016 `709.13 लाख।

2 मुख्य अभियंता (टि. क्षे.) टिहरी के पत्रांक:9453/08(06) पुरोला (टीएस)-टिहरी/16 दिनांक 21-12-2016 `709.13 लाख।

3 उप-जिलाधिकारी, पुरोला, अधीक्षण अभियंता (लो. नि. वि.) उत्तरकाशी और अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।

[4] उक्त ठेकेदार द्वारा कूटरचित अभिलेखो के आधार पर ही विभाग में श्रेणी–A के अंतर्गत पंजीकरण कराया गया था।

उपरोक्त अनुबंध के समापन के पश्चात विभाग द्वारा कार्य निष्पादन हेतु नयी दर (Current SoR) पर निविदा आमंत्रित की गयी तथा विभागीय दर बढ़ जाने के कारण लागत वृद्धि को समायोजित किए जाने हेतु कतिपय कार्य मदों को हटा दिया गया या कम कर दिया गया। विभाग द्वारा अनुबंध निरस्त कर नई एवं बढ़ी हुई दरों पर अनुबंध गठन किए जाने के परिणामस्वरूप निर्माण कार्य में लागत वृद्धि के साथ वर्तमान तक कार्य अपूर्ण रहा।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि, अधीक्षण अभियंता द्वारा अनुबंध निरस्त कर दिया गया तथा ₹3702791.00 का अर्थदण्ड लगाते हुए धरोहर राशि जब्त किए जाने के आदेश के अनुक्रम मे खंड द्वारा ₹2153525.00 लाख की प्रतिभूतियाँ जब्त कर राजस्व लेखा शीर्ष में जमा कर दिया गया।

खंड का उत्तर स्वीकार्य लेखा परीक्षा आपत्ति की स्वीकारोक्ति है।

अतः पूर्ण कार्य प्रतिभूति प्राप्त किए बिना अनुबंध गठन किये जाने के परिणामस्वरूप वर्तमान तक कार्य अपूर्ण रहना।

<u>भाग-2(ब)</u>

प्रस्तर- 5 खण्ड द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध समय पर कार्यवाही किए जाने में उदासीनता दिखाने से कार्य वर्तमान तक अपूर्ण रहना एवं ठेकेदार को अनुचित Secured Advance के भुगतान से रु10.44 लाख की धनराशि शासकीय लेखे से 7 माह तक बाहर रहने से ठेकेदार को लाभ पुहचना।

एस० पी० ए० (आर) के अंतर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के मोरी नैटवाड़ साँकरी मोटर मार्ग के कि० मी० 20 से आगे साँकरी तक पृवर्तित समरेखा मोटर मर्ग़ के कि०मी० 1 से 9 तक डामरीकारण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (11/2016) और प्राविधिक स्वीकृति (12/2016) को रु 390.92 लाख की प्राप्त थी।

अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग पुरोला के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (01/2019) में पाया गया कि उक्त कार्य के निष्पादन हेतु अधीक्षण अभियंता के पत्रांक 4621/56m-6/16 दिनांक 07/10/2016 द्वारा निविदा आमंत्रित की गयी जिस की सूचना दिनांक 14.10.2016 को राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र में प्रकाशित हुयी थी यानि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (11/2016) और प्राविधिक स्वीकृति (12/2016) प्राप्त करने से पूर्व ही निविदा आमंत्रित की गयी। कार्य निष्पादन हेतु ठेकेदार M/S PC2SR के साथ रु 326.46 लाख का अनुबंध (13/SE-06/2016-17 दिनांक 17-03-2017) गठित किया गया । ठेकेदार द्वारा कार्य समय से शुरू न किये जाने एवं कार्य धीमी गति से किये जाने पर खण्ड द्वारा ठेकेदार को पत्रांक 32/अनु दिनांक 21.04.2017, पत्रांक 39/अनु दिनांक 21.04.2017, पत्रांक 590/अनु दिनांक 2/05/2017 एवं पत्रांक 195/अनु दिनांक 28.10.2017 द्वारा कार्य जल्दी शुरू करने एवं कार्य समय से पूरा न किये जाने की स्थिति में अनुबंध की शर्तों के अनुसार अर्थदण्ड लगाने एवं समयवृद्धि न बढ़ाने की चेतावनी दिये जाने के बावजूद ठेकेदार को रु 40.80 लाख का Secured Advance (दिनांक 31.03.2018) एवं दिनांक 03.11.2018 को बिना समय वृद्धि एवं विचलन (Variation) की स्वीकृति के ही रु 87,83,556/- (5^{th} R/B) जिस में रु 3414299/- की धनराशि अधिक मात्राओं के कार्य निष्पादन हेतु सम्मलित है ,का भुगतान किया गया।

Secured Advance ठेकेदार को कार्य स्थल पर लाये गये सामाग्री हेतु दिया जाता है परंतु खण्ड द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध कार्य विलंब से किये जाने हेतु कार्यवाही करने के बजाय ठेकेदार को लाभ पहुंचाने हेतू Katcha hill side drain एवं collie wall के कार्य मदों जिन पर ठेकेदार को कोई Material क्रय करने की आवश्यकता नहीं होती है, के सापेक्ष (रू 3.09 लाख+ 7.35 लाख) =रु 10.44 लाख का भुगतान अनुचित Secured Advance के रूप में किया गया है।

GCC Rule 46.1 के अनुसार यदि ठेकेदार कार्य समय पर पूरा नहीं करता है तो शेष कार्य मात्रों की अनुबंधित लागत का (1/2000)th प्रति दिन के हिसाब से ठेकेदार के विरुद्ध अर्थदण्ड (LD) लगाने का प्रावधान है | खण्ड द्वारा ठेकेदार को समय समय पर कार्य की प्रगति बढ़ाने एवं समय पर कार्य पूरा न किये जाने पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही किये जाने की चेतावनी देने के बावजूद भी ठेकेदार के विरुद्ध आतिथि तक (दिनांक 21.01.2019 तक) यानि कार्य पूर्ण करने की अनुबंधित तिथि 16.3.2018 से 311 दिन विलंभ हेतु रू 29.18 लाख का अर्थदण्ड (LD) लगाने की कार्यवाही नहीं की गयी।

उक्त की और लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही निविदा आमंत्रित की गयी | बिना समयवृद्धि एवं विचलन (Variation) की स्वीकृति के भुगतान किये जाने के सम्बंध में अवगत कराया कि कार्य स्थल की विषम भौगोंलिक परिस्थितियों के कारण वर्ष भर में कार्य करने हेतु मात्र 5 माह का समय मिल पाता है क्योंकि कार्य स्थल की ऊंचाई 2000 मी० से अधिक होने के कारण समय समय पर कार्य की प्रगति में व्यवधान पड़ता रहा है एवं ठेकेदार द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर समय वृद्धि प्रकरण और आंत्रीय विचलन तैयार कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अर्थदण्ड लगाने की कार्यवाही एवं अनुबंध का अंतिमिकरण किया जायेगा। Secured Advance के संबंध मे अवगत कराया कि Secured Advance की वसूली ठेकेदार के देयक से कर ली गई है।

खण्ड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निविदा आमंत्रित करने की सूचना दिनांक 14.10.2016 यानि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (11/2016) और प्राविधिक स्वीकृति (12/2016) प्राप्त करने से पूर्व ही अखबार में प्रकाशित हुई थी। अनुचित Secured Advance का भुगतान किए जाने एवं 7 माह के बाद वसूली किए जाने से न सिर्फ रु 10.44 लाख की धनराशि शासकीय लेखे से 7 माह तक बाहर रही बल्कि ठेकेदार को 7 माह तक रु 10.44 लाख की धनराशि के ब्याज का लाभ भी मिला | समयवृद्धि एवं विचलन (Variation) की स्वीकृति के बिना और अर्थदण्ड (LD) लगाए बिना भुगतान किये जाने के सम्बंध में खण्ड के उत्तर "ठेकेदार द्वारा दिये गए प्रार्थना पत्र के आधार पर समय वृद्धि प्रकरण तैयार कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अर्थदण्ड लगाने की कार्यवाही की जायेगी" एवं खण्ड द्वारा ठेकेदार को अनुचित Secured Advance का भुगतान (रु 10.44 लाख) किए जाने से स्पष्ट होता है कि खण्ड द्वारा ठेकेदार को लाभ पहुंचाने हेतु अनुबंध की शर्तो के अनुसार ठेकेदार के विरुद अर्थदण्ड लगाने की कार्यवाही किए जाने में उदासीनता दिखाने के कारण आतिथि तक कार्य अपूर्ण रहा।

अतः उक्त प्रकरण को सज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर का विवरण		
		भाग –II (अ(	भाग –II (ब (	STAN
1.	28/2002-03	1,2,3	2 & 3	
2.	03/2009-10	1,2,3 & 4	-	
3.	46/2014-15	-	1,2,3, & 5	01
4.	88/2015-16		1,2,3 & 4	-
5	18/2017-18		1,2,3,4,5,6, & 7	01 & 02

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
खंड द्वारा अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन आख्या उच्चाधिकारियों की संस्तुति सहित प्रस्तुत नहीं किया गया।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला, उत्तरकाशी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) माप पुस्तिका 165/L

(ii) अधीक्षण अभियन्ता द्वारा खंडीय निरीक्षण की पत्रावली ।

(iii) डिपॉजिट रजिस्टर भाग-III

(iv) प्रकीर्ण अग्रिम पंजिका

1. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

2. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्रम सं	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	ई॰ धीरेन्द्र कुमार	अधिशासी अभियन्ता	विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक।

3. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

2.	श्री धीरेन्द्र कुमार	खण्डीय लेखाधिकारी	विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला**, **उत्तरकाशी** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकारलेखापरीक्षा)) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-2481095 को प्रेषित किया जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - 2